<u>न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर</u>

मुन्त. प्रा0/75/2017

केदार आयु 55 साल पुत्र कल्ले जाति गूजर निवासी गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर

.......प्रार्थी

बनाम

1—बनैसिंह आयु 45 साल पुत्र पदम
2—तिमनसिंह आयु 30 साल पुत्र रेशम जाति गूजर निवासी
3—श्रीमती विमलादेवी आयु 42 साल पत्नी बनैसिंह गाजीपुर तहसील बयाना
4—एस.डी.ओ. बयाना

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व मुकदमें उनवानी बनैसिंह वगे. बनाम केदार. दावा संख्या 191/2012 आरटीएक्ट न्यायालय एस.डी.ओ. बयाना

———————————

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 23.1.2018</u>

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थीयान पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि एसडीओ बयाना के न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.8.2017 को धमकी दी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का फैसला हमारे पक्ष में करा लिया है, दावा में भी सेटिंग हो गई है अब दावा भी हमारे पक्ष होगा। अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से साज करली है। प्रार्थी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलेगा। अतः प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा उपखण्ड अधिकारी बयाना से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी0 की ओर से जबाब प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उपखण्ड अधिकारी बयाना से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। अभिभाषक अप्रार्थी को सुना गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी से लिखित बहस प्रस्तुत करने को कहा उन्होने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपनी बहस होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी बयाना से प्राप्त टिप्पणी पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. के कथनों पर मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नही किया गया है। जिससे उसके कथनों को समर्थन मिलता हो। प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र एस.डी.ओ. न्यायालय में विचाराधीन दावा को देरीना करने के सिवाय और कुछ नहीं है। अस्तु मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

........2

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

मुन्त. प्रा0/75/2017
केदार बनाम बनैय सिंह वगे0

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी बयाना को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.1.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official